

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राज० जयपुर  
क्रमांक:-नर्सिंग / एनआरएचएम / 09 / दिनांक:-

:- आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक-नर्सिंग / एनआरएचएम / जीएनएम / 09 / 94 दिनांक-28.2.09 के द्वारा एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर जीएनएम रखे जाने हेतु राज्य स्तरीय चयन सूची जारी की गई थी, जिसके क्रम संख्या-5939 पर श्री राकेश कुमार गरेड पुत्र श्री राधेश्याम का चयन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ओबीसी वर्ग में विकलांग कोटे में किया गया। श्री राकेश कुमार गरेड ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि वे विकलांग नहीं हैं एवं उनका चयन विकलांग कोटे में गलत हुआ है, जिसे निरस्त किया जावे।

अतः श्री राकेश कुमार गरेड पुत्र श्री राधेश्याम का नाम एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने वाले जीएनएम के लिये जारी राज्य स्तरीय चयन सूची दिनांक-28.2.09 के क्रम संख्या-5939 पर से एतद्वारा विलोपित किया जाता है। श्री राकेश कुमार गरेड को ओबीसी वर्ग में इनके प्राप्तांक प्रतिशत 58.962 के अनुसार यथा स्थान पर सम्मिलित किया जावे।

५२

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज० जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / एनआरएचएम / 09 / 198 दिनांक:- 12/6/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, परियोजना निदेशक, एनआरएचएम योजना, मुख्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि श्री राकेश कुमार गरेड का मूल आवेदन पत्र सितम्बर-08 में आपको भिजवाया गया था, जिसे वापस निदेशालय में भिजवावें।
4. श्री राकेश कुमार गरेड पुत्र श्री राधेश्याम को सूचनार्थ
5. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज० जयपुर